



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 20] नई दिल्ली, जून 30—जुलाई 6, 2019, शनिवार/आषाढ़ 9—आषाढ़ 15, 1941

No. 20] NEW DELHI, JUNE 30—JULY 6, 2019, SATURDAY/ASADHA 9—ASADHA 15, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(गुणता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2019

का.नि.आ. 57.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय में निजी सचिव के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ख' (निजी सचिव) पद भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.**— वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

- (ii) in column (11), under the sub-heading 'Promotion',-
- (I) for the words figures and letters "the pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200", the words, figures, brackets and letters "Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)" shall be substituted;
- (II) "Note 3" shall be omitted;
- (b) against serial number 2, relating to the post of Senior Photographer [Erstwhile posts of Senior Photographer Grade-I and Senior Photographer Grade-II], -
- (i) in column (4), for the entries, the entries "Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)" shall be substituted;
- (ii) in column (11), under the sub-heading 'Promotion',-
- (A) for the words, letters and figures " the pay scale of Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2800 in pay band-1", the words, figures, brackets and letters "level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300)" shall be substituted;
- (B) "Note 3" shall be omitted.

[F. No. A/86320/RR/Chief Photographer and Senior Photographer/DGQA/Adm-10/242/D(QA)/2019]

JAYASREE C. R., Under Secy.

Note : The Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'B' posts (Chief Photographer and Senior Photographer) Recruitment rules, 2012 were published vide notification number S.R.O. 52, dated the 2nd July, 2012 in the Gazette of India, Part-II, Section-4, dated the 21st July, 2012.

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2019

का.नि.आ. 63.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (वैज्ञानिक) और वैज्ञानिक सहायक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (वैज्ञानिक) और वैज्ञानिक सहायक समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (वैज्ञानिक) और वैज्ञानिक सहायक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 में, -

(1) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।"

(2) अनुसूची में, -

(क) क्रम सं. 1 के सामने, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (वैज्ञानिक) [तत्कालीन ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद] के संबंध में -

(i) स्तंभ (4) में, स्तंभ, शीर्ष और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान
(4)
वेतन मैट्रिक्स (44900 से 142400 रु); में स्तर 7";

(ii) स्तम्भ (11) में

(क) "प्रोन्नति" उपशीर्षक के अधीन,-

(I) "वेतन बैंड 2, 9,300-34,800 रुपए + ग्रेड वेतन 4200" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स (35,400-1,12,400 रु.) में स्तर 6" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(II) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 2 के सामने, वैज्ञानिक सहायक [तत्कालीन वैज्ञानिक सहायक-II के पद] के संबंध में, -

(i) स्तम्भ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखीं जाएंगी, अर्थात् :-

वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान
(4)
वेतन मैट्रिक्स (35,400 से 1,12,400 रु.); में स्तर 6";

[फा. सं. ए/86320/आर.आर./ वैज्ञानिक/ डीजीक्यूए/प्रशा-10/244/डी(क्यू ए)/2019]

जयश्री सी. आर., अवर सचिव

टिप्पण : रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (वैज्ञानिक) और वैज्ञानिक सहायक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 भारत के राजपत्र भाग -II खण्ड-4 में अधिसूचना संख्यांक का. नि. आ. 69 तारीख 16 नवम्बर, 2011 द्वारा प्रकाशित किये गए थे।

New Delhi, the 2nd July, 2019

S.R.O. 63.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Junior Technical Officer (Scientific) and Scientific Assistant Group 'B' posts Recruitment Rules, 2011, namely :-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Junior Technical Officer (Scientific) and Scientific Assistant Group 'B' posts Recruitment (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Junior Technical Officer (Scientific) and Scientific Assistant Group 'B' posts Recruitment Rules, 2011,-

(A) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

"2.Number of posts, classification, level in pay matrix or pay scale .- The number of the said posts, their classification, the level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";

(B) in the Schedule,-

(a) against serial number 1, relating to the post of Junior Technical Officer (Scientific)[Erstwhile post of Senior Scientific Assistant], -

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely, -

“Level in pay matrix or pay scale.
(4)
Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900 - 142400)”;

(ii) in column (11),-

- (A) under the sub-heading “Promotion”,-
- (I) for the words, figures and letters “the Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4200”, the words, figures, brackets and letters “level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)” shall be substituted;
- (II) Note 2 shall be omitted;
- (b) against serial number 2, relating to the post of Scientific Assistant [Erstwhile post of Scientific Assistant Grade-II], -
- (i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“

“Level in pay matrix or pay scale.
(4)
Level-6 in the pay matrix (Rs. 35,400 – 1,12,400)”;

[F. No. A/86320/RR/Scientific/DGQA/Adm-10/244/D(QA) /2019]

JAYASREE C.R., Under Secy.

Note : The Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Junior Technical Officer(Scientific) and Scientific Assistant Group ‘B’ posts Recruitment Rules, 2011 were published in the Gazette of India, Part-II, section-4 vide notification number SRO 69, dated the 16th November, 2011.